

8.9.20 पत्रावली प्रेश टुर्न वकील अर्थात्
उप. लक्ष्मीलदा तिवड़ी से रिपोर्ट
अर्थात् / अर्थात् पत्रावली काले इन्टरजाल
रिपोर्ट हेतु दिनांक 23.9.2020
को प्रेश टुर्न

23.9.20 पत्रावली प्रेश टुर्न वकील अर्थात् उप.
लक्ष्मीलदा तिवड़ी से रिपोर्ट अर्थात्
सदस्य पत्रिका उप. वदस सुनी
गई पत्रावली पर उपलब्ध इस्तावेजों
की ध्यानपूर्वक अल्लोकन किया गया
अर्थात्: अर्थात् का अर्थात्-पत्र स्वीकार
किया गया है निर्णय पृष्ठक से लिखा
जाकर कुल इलाज सुनाया गया जो
शापिल किलाल किया गया / पत्रावली
केशल सुना लेक दाकिल दल्लर हो
पुनश्च: निर्णय पालन हेतु लक्ष्मील-
दा तिवड़ी को लक्ष्मील जादी हो

प्रार्थीगण की ओर से :- अधिवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी उपस्थित।
अप्रार्थी की ओर से :- सरकारी पैरोकार।

--:निर्णय:-

दिनांक:- 23-9-2020

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:- प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 733 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 751 रकबा 70 बीघा, खसरा नम्बर 732 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 743 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 711 रकबा 07 बिस्वा गै.मु. ढाणी व खसरा नम्बर 732/1 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा मौजा ग्राम तिंवरी, तहसील तिंवरी की सरहद में आई हुई हैं। उक्त भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज करते वक्त प्रार्थी संख्या 1 का नाम हनीफ भाई व प्रार्थी संख्या 2 का नाम उमर भाई दर्ज कर दिये गये जबकि प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम मोहम्मद हनीफ व प्रार्थी संख्या 2 का नाम मोहम्मद उमर है। प्रार्थीगण के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि में नाम भी प्रार्थी संख्या 1 का नाम मोहम्मद हनीफ व प्रार्थी संख्या 2 का नाम मोहम्मद उमर दर्ज है तथा सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी संलग्न है। उक्त राजस्व रेकॉर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की भूल के कारण हुई जो सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकॉर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थीगण को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिस वजह से प्रार्थीगण अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत तमाम कार्य रुके हुए पड़े हैं। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि

राज्य अधिवक्ता, जयपुर

खसरा नम्बर 733 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 751 रकबा 70 बीघा, खसरा नम्बर 732 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 743 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी व कब्जा कास्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 711 रकबा 07 बिस्वा गै.मु. ढाणी व खसरा नम्बर 732/1 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा मौजा ग्राम तिवरी, तहसील तिवरी के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 1 का नाम हनीफ भाई व प्रार्थी संख्या 2 का नाम उमर भाई दर्ज है जो गलत है उसके स्थान पर प्रार्थी संख्या 1 का वास्तविक नाम मोहम्मद हनीफ व प्रार्थी संख्या 2 का वास्तविक नाम मोहम्मद उमर दर्ज किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

यह है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र रेकॉर्ड पर लिया गया।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर नम्बर खसरा नम्बर 733 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 751 रकबा 70 बीघा, खसरा नम्बर 732 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 743 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी व कब्जा कास्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 711 रकबा 07 बिस्वा गै.मु. ढाणी व खसरा नम्बर 732/1 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा मौजा ग्राम तिवरी, तहसील तिवरी के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 1 का नाम हनीफ भाई के स्थान पर मोहम्मद हनीफ व प्रार्थी संख्या 2 का नाम उमर भाई के स्थान पर मोहम्मद उमर दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।



उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 23.9.2023 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां